सराहनीय कार्य, जनपद –जालौन
दिनांक –18.11.2023

थाना कदौरा पुलिस द्वारा हत्या की घटना में वांछित आरोपी मामा को 10 घन्टे के अन्दर हिरासत में लिया गया।

दिनांक 18.11.2023 को वादिनी ने तहरीरी सूचना दी कि मेरा भांजा सुनील कुमार पुत्र श्याम बिहारी नि0 ग्राम दौलतपुर थाना औरैया जनपद औरैया मेरे घर के बरामदे में सो रहा था तभी मेरे पति वीर सिंह पुत्र हरिराम नि0ग्राम कुआँखेडा थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा फावड़े से जान से मारने की नियत से गर्दन पर वार किये जिससे सुनील की मृत्यु हो गयी। जिसके संबन्ध में थाना कदौरा में मु0अ0स0- 260/23 धारा 302 भादवि बनाम वीर सिंह उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 04 पुलिस टीम को लगाया गया था, जिसके फलस्वरूप उक्त गठित टीमों द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए मात्र 10 घण्टे में आरोपी वीर सिंह पुत्र हरिराम नि0ग्राम कुआँखेडा थाना कदौरा जनपद जालौन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

आरोपी का विवरण –

1. अभियुक्त वीर सिंह पुत्र हरिराम नि0ग्राम कुआँखेडा थाना कदौरा जनपद जालौन।

पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष कदौरा जनपद जालौन मय टीम।